[2022] 12 एस. सी. आर 761

बैंक ऑफ बड़ौदा और ए. एन. आर.

वी.

एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 8411)

18 जनवरी, 2022

[संजय किशन कौल और एम. एम. सुंदरेश, जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - s.29A (एच) (2018 के अधिनियम 26 द्वारा संशोधित)-की व्याख्या और दायरा -

आयोजित किया गयाः s.29A (एच) व्यक्तियों के अलावा समाधान आवेदक होने के योग्य नहीं होने वाले व्यक्तियों की एक और श्रेणी बनाता है।

इसके तहत उल्लिखित, कोई अयोग्यता नहीं हो सकती है-एक प्रवर्तक या निदेशक को शामिल करने के लिए "व्यक्ति" शब्द का व्यापक महत्व है, जैसा भी मामला हो।

उल्लिखित यू / संहिता की धारा 3 (23) में व्यक्तियों की कुछ श्रेणियां शामिल हैं और इस प्रकार, ऐसा कोई बहिष्करण नहीं है-यह केवल उदाहरणात्मक/समावेशी प्रकृति का है और इसलिए, धाराओं में उल्लिखित व्यक्ति। 29 अकेले ए समाधान आवेदक होने के लिए अयोग्य हैं-एक बार जब कोई व्यक्ति एक कॉर्पोरेट देनदार द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में एक लेनदार के पक्ष में गारंटी निष्पादित करता है, और एक मामले में जहां दिवालिया समाधान के लिए एक आवेदन स्वीकार किया गया है,

उक्त गारंटी के लागू होने के बाद, बार क्वा पात्रता निश्चित रूप से लागू होगी-प्रावधान के लिए 'एक लेनदार' के पक्ष में एक गारंटी की आवश्यकता होती है-एक बार 'एक लेनदार' की ओर से दिवालिया समाधान के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रक्रिया उनमें से एक होगी, और इसलिए, सभी लेनदारों

एक ही वर्ग के पास एक दूसरे के बराबर अपने-अपने अधिकार होंगे-एस में "ऐसे लेनदार" शब्द। 29 ए (एच) की व्याख्या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिवाला आवेदन स्वीकार किए जाने के बाद समान रूप से रखे गए लेनदारों के रूप में की जानी चाहिए-परिणामस्वरूप, उक्त प्रावधान के तहत अयोग्यता अर्जित करने के लिए जो आवश्यक है, वह केवल एक व्यक्तिगत गारंटी का अस्तित्व है जो एक एकल लेनदार द्वारा लागू की जाती है, इसके बावजूद कि किसी अन्य लेनदार द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए आवेदन दायर किया जा रहा है, जो किसी अन्य लेनदार द्वारा उक्त व्यक्तिगत गारंटी के आह्वान के आगे अनुपालन के अधीन है-अयोग्यता को समाधान प्रक्रिया के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए-यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि दूसरों के खिलाफ एक लेनदार के लिए अयोग्यता हो सकती है।

अयोग्यता समाधान प्रक्रिया में भागीदारी के लिए है

निगमित देनदार-बहिष्करण एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए है-संशोधन के बाद का प्रावधान एक लेनदार द्वारा आह्वान की बात करता है-आह्वान का तरीका कभी भी निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के लिए एक कारक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अस्तित्व के विपरीत-प्रावधान के बाद के हिस्से को पर्याप्त महत्व देना होगा जो उस व्यक्ति को भी अयोग्य ठहराता है जिसका दायित्व लेनदार के पक्ष में निष्पादित व्यक्तिगत गारंटी के तहत, उससे देय राशि के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से भुगतान नहीं किया जाता है।

आह्वान - s.29A का उद्देश्य लेनदारों की समिति और कॉर्पोरेट देनदार के हितों की रक्षा करना और उन्हें संतुलित करना है, दूसरों के हितों को उजागर करने के लिए दरवाजे बंद करते हुए -

यह.

सचेत रूप से व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों को बाहर करता है। 29 ए (एच) उन लेनदारों का पूर्वानुमान लगाता है जो या तो पहले से ही दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत हैं या इसके तहत जाने के हकदार हैं-क़ानूनों की व्याख्या-उद्देश्यपूर्ण व्याख्या।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-का उद्देश्य

-

चर्चा की।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - s.29A-उद्देश्य

की-चर्चा की गई।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - s.29A (h) (के रूप में)

प्राधिकरण-आयोजितः यदि समाधान आवेदक द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करने के समय कोई बाधा है, तो यह स्पष्ट रूप से नहीं है। रखरखाव योग्य-हालांकि, यदि योजना का प्रस्तुत करना उस समय बनाए रखने योग्य है जब इसे दाखिल किया जाता है, और उसके बाद, कानून के संचालन से, एक व्यक्ति अयोग्य हो जाता है, जो या तो तब तक जारी रहता है जब तक कि

सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदन का समय, या प्राधिकरण द्वारा निर्णय, तो बाद का संशोधित प्रावधान समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए समाधान आवेदक की पात्रता के सवाल को नियंत्रित करेगा-यदि कोई अयोग्यता है जो अन्य हितधारकों को आगे बढ़ने से रोकती है और संशोधन एक बेहतर प्रक्रिया प्रदान करने की प्रकृति में है, और वह भी लेनदारों और देनदार के हित में है, तो पहले के प्रावधान के विपरीत इसका पालन करने की

आवश्यकता है-इस प्रकार, केवल एक समाधान योजना प्रस्तुत करने का कोई तर्क नहीं है, क्योंकि यह एक सुविधा प्रदाता के पक्ष में कोई अधिकार पैदा नहीं करता है और न ही यह बड़ौदा और ए. एन. आर. का ए. एन. के हो सकता है।

वी. एम. बी. एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड ओ. आर. एस.अनुमान-यह नहीं कहा जा सकता है कि आज जो अच्छा है वह केवल इसलिए किया जा सकता है क्योंकि एक आवेदक अधीनता के योग्य था।

पहले के समय में पोषण योजना-यह केवल एक पी. ए. है

शिक्षा संबंधी कानून।दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - एस. 12 (3)-आई. एफ. ई. विस्तार और बहिष्करण उपयोग के बीच एक स्पष्ट अंतर है जो तब लागू होगा जब निर्णय एक उच्च मंच पर होता है-विस्तार वह है जिसे लागू किया जाना है।

ई प्राधिकरण का गठन किया गया।

स्विस रिबन (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ (2019) 4 एससीसी 17; के. एन. राजकुमार बनाम वी. एन. नागराजन 2021 एससीसी ऑनलाइन 732; आर्केलर मित्तल इंडिया प्रा. लिमिटेड वी. सतीश कुमार

गुप्ता (2019) 2 एससीसी 1: [2018] 12 एस. सी. आर. 362; लेनदारों की समिति, एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड v. सतीश कुमार

गुप्ता (2020) 8 एससीसी 531: [2019] 16 एससीआर 275; अपोलो

2018 की अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 548; डी. बी. एस. बैंक लिमिटेड बनाम शरद सांघी (2019 की सिविल अपील संख्या 3434-3436); एबिक्स सिंगापुर प्रा. लिमिटेड वी. एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड का सी. ओ. सी. 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 707; नेशनल स्पॉट एक्सचेंज बनाम। अनिल कोहली 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 716; भारतीय रिजर्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, (1987) 1 एससीसी 424: [1987] 2 एस. सी. आर. 1; भारत संघ बनाम। एल्फिंस्टन एसपीजी। और डब्ल्यूवीजी। कं. लिमिटेड, (2001) 4 एस. सी. सी. 139: [2001] 1 एससीआर 221; फीनिक्स आर्क (पी) लिमिटेड बनाम। स्पेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (2021) 3 एस. सी. सी. 475; अरुण कुमार जगतरामका बनाम। जिंदल

स्टील एंड पावर लिमिटेड (2021) 7 एस. सी. सी. 474 स्विस

रिबन (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2019) 4 एस. सी. सी. 17: [2019] 3 एस. सी. आर. 535; चित्रा शर्मा और अन्य। वी. भारत संघ, (2018) 18 एस. सी. सी. 575: [2018] 12 एससीआर 1044

संदर्भित किया गया।

मूर्तियों की व्याख्या पर मैक्सवेल, 11 वां संस्करण;

कानून में क्रेज़, 7 वां संस्करण, पृष्ठ। 262 ; ए ड्राइजर, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैच्यूट, दूसरा संस्करण, 1983, पृष्ठ। 37 -

संदर्भित किया गया।

सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम आशेर, (1949) 2 के. बी. 481-संदर्भित।

[202

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

(2019) 4 एससीसी 17

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[2018] 12 एससीआर 362

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[2019] 16 एससीआर 275

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[1987] 2 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 40

[2001] 1 एससीआर 221

संदर्भित किया गया है

पै

रा 41

(2019) 2 एससीसी 1

पै

रा 42

संदर्भित किया गया है

(2021) 3 एस. सी. सी. 475

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

(2021) 7 एस. सी. सी. 474

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

[2019] 3 एससीआर 535

पै

रा 43

संदर्भित किया गया है

[2018] 12 एससीआर 1044

संदर्भित किया गया है

पै

रा 48

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.8411

2019 .

राष्ट्रीय संविधान के 16.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.225 में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

तुषार मेहता, एस. जी., मेसर्स सिरिल अमरचंद मंगलदास, एड. के लिए

अपीलार्थी।

रंजीत कुमार, पराग त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री अनुसूया सलवान,

सुश्री एस. जनानी, अभिषेक पुंडिर, बंकिम गर्ग, सुश्री मिशिका बाजपेयी, चैतन्य बंसल, डॉ. सुधीर बिस्ला, सुश्री सुमित्र बिस्ला, सत्येंद्र कुमार, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, अर्जुन भाटिया, श्रीमती शुभ्रा कपूर, ललित राजपूत, अंकुर मित्तल, सुश्री मीरा मोराली, सुश्री ऐश्वर्या पांडे, अतुल कुमार, अभिमन्यु शर्मा, सुश्री दीपाली, करुणाकर रथ, तरुण गुप्ता, सुश्री अर्चना पाठक दवे, मिथिलेश कुमार पांडे, अमित सिंह, राकेश

कुमार-I, सतरूप दास, निखिल कोहली, सुश्री ईशा सिंह, राहुल सिन्हा, सुश्री शिवी पांडे, डॉ. (श्रीमती विप) उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. एम. सुंदरेश, जे.

1. दिवाला की धारा 29 ए (एच) की न्यायिक व्याख्या

और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित), जैसा कि 2018 के अधिनियम 26 द्वारा संशोधित किया गया है, हमसे माँगा गया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा और ए. एन. आर. वी. एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

2. हमने श्री को सुना है। तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल और श्री विश्वजीत दुबे, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, और श्री. रंजीत कुमार और श्री. पराग पी. त्रिपाठी, प्रत्यर्थी संख्या की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील। 1 और क्रमशः 3। गौर किया कि

दोनों पक्षों द्वारा दायर किए गए दस्तावेज़, और इसके अतिरिक्त, हमें अभिलेख पर रखे गए लिखित तर्कों को देखने का लाभ मिला।

एक संक्षिप्त यात्राः

3. एम/एस। एम. बी. एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 1) की स्थापना श्री अंजनी कुमार लखोटिया (प्रतिवादी संख्या 3) ने की थी।

1990 के दशक की शुरुआत में। ऋण/ऋण सुविधाएँ प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा बैंकों के संघ (स्टेट बैंक ऑफ मैसूर अब भारतीय स्टेट बैंक प्रमुख बैंक के रूप में) से प्राप्त की गई थीं, जिनमें से कुछ को अपीलार्थी के अलावा प्रत्यर्थी के रूप में भी रखा गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पुनर्भुगतान की शर्तों के अनुरूप कार्य करने में विफलता पर, कुछ उत्तरदाताओं को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

4. एम/एस। आरबीएल बैंक ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रवर्तन की धारा 13 (2) के तहत एक नोटिस जारी किया है।

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (संक्षेप में 'सरफेसी अधिनियम'), प्रत्यर्थी संख्या 3 की व्यक्तिगत गारंटी को विधिवत लागू करने के बाद। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 8 (मेसर्स इलाहाबाद बैंक) और मेसर्स इलाहाबाद बैंक के हाथों भी इसी तरह की कार्रवाई की गई। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर हमें यह समझने के लिए दिया गया है कि एम/एस। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया। एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (2) को लागू करने वाली उपरोक्त दो कार्यवाही क्रमशः फरवरी और मार्च, 2013 के महीने में शुरू की गई थी।

5. उपरोक्त तथ्यात्मक सेटिंग पर, एम/एस। आर. बी. एल. बैंक ने नं. (आईबी)-170/के. बी./2017 संहिता की धारा 7 के तहत

प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) शुरू करने के लिए "न्यायनिर्णायक प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित। इसे एक अंतरिम प्रस्ताव नियुक्त करते हुए 30.03.2017 दिनांकित आदेश के माध्यम से स्वीकार किया गया था। पेशेवर, संहिता की धारा 14 के संदर्भ में अधिस्थगन लागू करने के लिए अग्रणी। सी. आई. आर. पी. की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के बाद, समाधान पेशेवर द्वारा सी. आई. आर. पी. की अवधि को अतिरिक्त 90 दिनों तक बढ़ाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे विधिवत मंजूरी दे दी गई थी।

6. प्रस्ताव द्वारा दो समाधान योजनाएं प्राप्त की गईं

पेशेवर (यहाँ उत्तरदाता संख्या 2) जैसा कि वे तब थे, जिनमें से एक [2022] 12 एस. सी. आर.

उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा 29.06.2017 पर लिखा गया था। यह संहिता की धारा 29 ए के लागू होने से पहले किया गया था।

7. सक्रिय भागीदारी के साथ बैठकों की एक श्रृंखला हुई

16 अक्टूबर, 2017 से 17 नवंबर, 2017 के बीच प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना पर लेनदारों की समिति (सी. ओ. सी.)। 18.11.2017 पर आयोजित सी. ओ. सी. की 9 वीं बैठक में उत्तरदाता संख्या 3 के हाथों एक उचित समाधान योजना की मांग करने का निर्णय लिया गया था। उपरोक्त निर्देश के अनुरूप, प्रतिवादी संख्या 3 ने 22.11.2017 पर एक संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत की।

8. इसके बाद, दिवाला और दिवालियापन संहिता के माध्यम से

(संशोधन) अध्यादेश, 2017, धारा 29 ए को उस संहिता में पेश किया गया था जिसके साथ हम वर्तमान में संबंधित हैं, विशेष रूप से 29 ए (सी) और (एच)। इन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

आवेदक-कोई व्यक्ति संकल्प प्रस्तुत करने का पात्र नहीं होगा। योजना, यदि ऐसा व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है

व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो प्रवर्तक या प्रबंधन में है

या ऐसे व्यक्ति का नियंत्रण, -

XXX

XXX

XXX

(ग) एक खाता है, या एक कॉर्पोरेट देनदार का खाता है।

ऐसे व्यक्ति के प्रबंधन या नियंत्रण में या जिसका ऐसा व्यक्ति एक प्रवर्तक है, जिसे गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत जारी किया गया और कम से कम

निगमित दिवालियापन की शुरुआत की तारीख तक निगमित देनदार की समाधान प्रक्रिया:

बशर्ते कि व्यक्ति एक प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा

समाधान योजना यदि ऐसा व्यक्ति सभी अतिदेय का भुगतान करता है

उस पर ब्याज के साथ राशि और गैर से संबंधित शुल्क

समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले परिसंपत्ति खातों का निष्पादन करना;

XXX

XXX

XXX

दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत एक निगमित देनदार के संबंध में या इस कोड के तहत परिसमापन "। बैंक ऑफ बड़ौदा और ए. एन. आर.

वी. एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

9. सी. ओ. सी. ने उत्तरदाता संख्या 3 की पात्रता में संशोधन के प्रभाव पर विचार-विमर्श करने के लिए 01.12.2017 पर अपनी बैठक आयोजित की।

संयोग से, एक निष्कर्ष दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने कोई चूक नहीं की है। उपरोक्त स्पष्टीकरण के साथ, दायर किए गए आवेदन को किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी गई थी 23.11.2017 , संहिता में धारा 29 ए का परिचय कराना।

11. उपरोक्त आदेश पर पंजाब नेशनल बैंक (प्रतिवादी No.10) द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय के समक्ष हमला किया गया था। कंपनी में न्यायाधिकरण (इसके बाद "अपीलीय न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित)

2017 की अपील (ए. टी.) (दिवाला) सं. 330। प्रत्यर्थी No.10 को सुनने पर, निम्नलिखित अंतरिम आदेश 21.12.2017 पर पारित किया गया थाः

" स्पीड पोस्ट द्वारा उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया जाए। आवश्यकताएँ

अगली तारीख। दस्ती सेवा की अनुमति है। इस आदेश की प्रति उत्तरदाताओं को भी भेजी जा सकती है। अपीलार्थी 5 जनवरी, 2018 तक विवादित आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करेगा। इस मामले को 11 जनवरी, 2018 को पोस्ट करें।

इस बीच, यदि दूसरे उत्तरदाता ने कोई समाधान योजना दायर की है, तो समाधान पेशेवर और ऋणदाताओं की समिति [2022] 12 एस. सी. आर. कर सकती है।

उसी से गुजरें लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण स्वीकार नहीं करेगा

या समाधान योजना को अस्वीकार कर दें या निचली अदालत में कोई आदेश पारित करें

इस अपीलार्थी न्यायाधिकरण की पूर्व मंजूरी के बिना।

12. उसी दिन, द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना

प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा सी. ओ. सी. की 12 वीं बैठक में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए रखा गया था और अगले दिन प्रक्रिया पूरी की गई थी। योजना को सी. ओ. सी. का 68.50% वोट शेयर प्राप्त हुआ। छह वित्तीय लेनदारों ने योजना के खिलाफ मतदान किया, जिसमें प्रतिवादी No.10 (पीएनबी) और आरबीएल बैंक शामिल थे। सी. आई. आर. पी. की विस्तारित 270 दिनों की अवधि 25.12.2017 पर समाप्त हो गई।

13. आरबीएल बैंक ने दिनांक 18.12.2017 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की।

2018 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 1 जिसमें 11.01.2018 पर पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया गया था जिससे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आगे बढ़ने की सुविधा मिली लेकिन समाधान योजना को उसकी पूर्व मंजूरी के बिना स्वीकार नहीं किया गया।

14. प्रत्यर्थी संख्या 3 ने 12.01.2018 पर आवेदन दायर किया

सी. ए. सं. वाली संहिता की धारा 60 को लागू करना। (आईबी) 50/के. बी./2018 असंतुष्ट और अनुपस्थित लेनदारों के लिए एक उचित निर्देश की मांग करना

संशोधित समाधान योजना का समर्थन करके मन के संभावित परिवर्तन की सुविधा प्रदान करें। इसके बाद, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (प्रत्यर्थी संख्या 11) ने इस अदालत के दिनांक 26.10.2021 के आदेश से प्रेरित होकर, उत्तरदाता संख्या 2 को दिनांक 31.01.2018 पर एक पत्र भेजा, जिसमें समाधान योजना के अनुमोदन के लिए अपनी शर्तें निर्धारित की गईं। इसके अलावा, इंडियन ओवरसीज बैंक समाधान योजना को अपनी मंजूरी देते हुए प्रसन्न था। इस प्रकार, संकल्प योजना ने 78.50% वोट शेयर एकत्र किया।

15. इस बीच, धारा 29 ए (एच) आगे चली गई।

संशोधन जो 18.01.2018 से प्रभावी हुआः

" धारा 29 ए-ऐसे व्यक्ति जो संकल्प के लिए पात्र नहीं हैं आवेदक-कोई व्यक्ति प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पात्र नहीं होगा।

योजना बनाएँ, यदि ऐसा व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से कार्य कर रहा है

ऐसे व्यक्ति के साथ -

XXX

XXX

XXX

(ज) लेनदार के पक्ष में एक प्रवर्तनीय गारंटी को निष्पादित किया है, एक निगमित देनदार के संबंध में जिसके लिए एक आवेदन

ऐसे लेनदार द्वारा किया गया दिवालिया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।

इस कोड के तहत "। बैंक ऑफ बड़ौदा और ए. एन. आर. वी. एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

16. 23.03.2018 पर, अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी No.10 और आरबीएल बैंक द्वारा दायर अपीलों में निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" जब मामला उठाया गया तो अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील-'पंजाब नेशनल बैंक' ने अपील वापस लेने की अनुमति मांगी। प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों में से एक ने प्रार्थना का विरोध किया। लेकिन हम हैं प्रत्यर्थी द्वारा किए गए विरोध के आधार की ओर झुकाव नहीं। बैंक बिना किसी स्वतंत्रता के अपील वापस लेने का इरादा रखता है। इस पृष्ठभूमि में, वापस लेने के लिए हलफनामे में दिखाए गए आधारों को ध्यान में रखे बिना, हम अपीलार्थी को उसी विवादित आदेश को चुनौती देने की किसी भी स्वतंत्रता के बिना अपील वापस लेने की अनुमति देते हैं। अपील को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया जाता है। 2018 का आई. ए. No.311 निपटाया गया है। 'कानून का सवाल' कुछ में तय किया जा सकता है।

दूसरा मामला। कोई लागत नहीं। इस अपीलार्थी न्यायाधिकरण द्वारा 21 तारीख को पारित अंतरिम आदेश

दिसंबर, 2017 खाली है।

17. उपरोक्त आदेश अपीलार्थियों को अनुमति देते हुए पारित किया गया था।

समाधान योजना संहिता की धारा 30 (4) के तहत 75 प्रतिशत की अनिवार्य आवश्यकता तक पहुँच जाने को देखते हुए प्रतिवादी संख्या 3 की पात्रता के आदेश के खिलाफ अपीलों को वापस लेना। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उन अपीलार्थियों को योजना पर कोई शिकायत नहीं थी जैसा कि अधिकांश सी. ओ. सी. द्वारा स्वीकार किया गया था। तथापि, वर्तमान अपीलार्थी द्वारा किए गए अनुरोध, जिसने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष 2018 का आई. ए. सं. 311 दायर किया था, जिसमें आई. एस. को जारी रखने के लिए उपरोक्त कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल होने की मांग की गई थी, पर अनुकूल रूप से विचार नहीं किया गया था, हालांकि उपरोक्त आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया था। हम यह भी नोट कर सकते हैं कि हमारे सामने अपीलकर्ता जिसने संयोग से उपरोक्त आवेदन दायर किया था, उसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष नहीं सुना गया था। यह कहना पर्याप्त है कि अपीलार्थी ने अपील वापस लेने पर अपनी आपत्ति जताई थी, संभवतः इस आधार पर कि वह मूल अपीलार्थी के स्थान पर खुद को प्रतिस्थापित करके जारी रखना चाहता था।

18. समाधान पेशेवर, प्रतिवादी संख्या 2 ने एक रिपोर्ट दायर की

संकल्प योजना के साथ 78.50% तक मतदान हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज करने के लिए दिनांक 12.02.2018 यह कहते हुए कि इसे तदनुसार पारित किया गया था। केवल उपरोक्त तथ्यात्मक सेटिंग पर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित अपील को 27.02.2018 पर वापस ले लिया गया था। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने अपने दिनांक 18.04.2018 के आदेश द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को अन्य बातों के साथ-साथ यह मानते हुए मंजूरी दी कि [2022] 12 एस. सी. आर. के बीच एक स्पष्ट अंतर है।

विस्तार और बहिष्करण और इसलिए, संहिता की धारा 12 (1) की कठोरता मामले के तथ्यों पर आकर्षित नहीं होगी, विशेष रूप से जब अंतरिम आदेशों के साथ कार्यवाही लंबित थी। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 29 ए (एच) के तहत पात्रता का मुद्दा पहले से ही तय किया जा चुका है, और समाधान योजना के साथ अपेक्षित सीमा को पार कर गया है।

सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदन, अर्थात 75 प्रतिशत वोट शेयर, योजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के अनुमोदन के लिए दायर आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए। तदनुसार एक निर्देश दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अनुमोदित समाधान योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

19. हमारे समक्ष अपीलार्थी ने उपरोक्त आदेश को चुनौती दी

2018 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 194 में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित।

20. इस बीच, धारा 29 ए (एच) आगे चली गई।

दिनांक 1 के अध्यादेश के माध्यम से परिवर्तन, जो बाद में 2018 के अधिनियम 26 के माध्यम से उसी तारीख से एक अधिनियम बन गयाः

" धारा 29 ए-ऐसे व्यक्ति जो संकल्प के लिए पात्र नहीं हैं आवेदक-कोई व्यक्ति प्रस्ताव प्रस्तुत करने का पात्र नहीं होगा।

योजना बनाएँ, यदि ऐसा व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति संयुक्त रूप से या सामूहिक रूप से कार्य कर रहा है

ऐसे व्यक्ति के साथ -

XXX

XXX

XXX

(ज) लेनदार के पक्ष में गारंटी निष्पादित की है,

एक निगमित देनदार का सम्मान जिसके लिए एक आवेदन

इस संहिता के तहत और इस तरह की गारंटी क्रेडिट द्वारा लागू की गई है और पूर्ण या आंशिक होने पर अवैतनिक रहता है।

21. अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस दौरान अन्य संभावनाओं का पता लगाया

अपील की विचाराधीनता। इसने प्रत्यर्थी संख्या 3 को एक संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। पक्षकारों को सुनने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत संशोधित समाधान योजना को मंजूरी देते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया। दायर की गई अपीलों के निपटारे के बाद, जिसमें अपीलार्थी के साथ-साथ अन्य लोग भी शामिल हैं जिन्होंने नहीं किया है।

इसे हमारे सामने चुनौती देते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1 के शेयरधारकों ने वार्षिक आम बैठक में Rs.300 करोड़ की निधि जुटाने को मंजूरी दी।

बैंक ऑफ बड़ौदा और ए. एन. आर. वी. एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

22. अपीलार्थी सहित अपीलों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि समाधान योजना को 78.50% के साथ अनुमोदित किया गया था।

सी. ओ. सी. का मतदान हिस्सा, और यह व्यवहार्यता और व्यवहार्यता के बारे में तकनीकी-आर्थिक रिपोर्ट द्वारा समर्थित था। इससे पहले का निर्णय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी दिनांक 1 ने समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए संहिता की धारा 29 ए के तहत प्रतिवादी संख्या 3 की पात्रता के मुद्दे को अंतिम रूप दे दिया है, और यह किसी भी स्पष्ट भेदभाव के अभाव में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या सी. ओ. सी. के निर्णय पर अपील में नहीं बैठ सकता है। यह अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय है जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करता है, जिसका हमारे सामने परीक्षण किया जाता है।

23. इससे पहले कि हम बार में की गई प्रस्तुतियों के साथ आगे बढ़ें, हमें एक और तथ्य दर्ज करना होगा, अर्थात् संहिता की धारा 30 भी।

एक अध्यादेश के माध्यम से दिनांक 1 के संशोधन की शुरुआत के बाद एक अधिनियम के माध्यम से परिवर्तन किया गया, जिसके माध्यम से सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आवश्यक प्रतिशत को सी. ओ. सी. के मतदान हिस्से के 75 प्रतिशत से घटाकर 66 प्रतिशत कर दिया गया है।

आवेदन की प्रस्तुतियाँः

24. हम अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 7 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की दलीलों पर सामूहिक रूप से विचार करेंगे, हालांकि उक्त प्रत्यर्थी ने हमारे समक्ष कोई अपील दायर करने का विकल्प नहीं चुना।

25. धारा 29 ए की समग्र व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए -

उद्देश्य उन गारंटरों को अयोग्य ठहराकर ऋण की प्रधानता को बढ़ावा देने के इरादे से अवांछनीय व्यक्तियों को बाहर निकालना है जिन्होंने दिवालिया कॉर्पोरेट देनदार के साथ अपने सह-व्यापक दायित्व को पूरा नहीं किया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 (जो निगमित देनदार का प्रवर्तक है) संहिता की धारा 29 ए (एच) के तहत समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य था, क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा विभिन्न प्रावधानों के पक्ष में कई व्यक्तिगत गारंटी निष्पादित की गई थीं।

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले प्रत्यर्थी संख्या 1 के लेनदारों का आह्वान किया गया था। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से एक स्पष्ट दमन है,

जिस पर दोनों अवसरों पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था। यहां तक कि प्रत्यर्थी संख्या 2 भी उक्त तथ्य को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष लाने में विफल रहा। अतः वह आधार जिसके आधार पर

प्रत्यर्थी संख्या 3 को समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र ठहराना, प्रत्यक्षतः गलत है।

26. आवेदन की तारीख को जो कानून प्रचलित था, उसे देखना होगा, इसलिए अयोग्यता आवेदन दाखिल करने की तारीख पर आकर्षित होती है और उसी सादृश्य पर न केवल धारा [2022] 12 एस. सी. आर.

29ए (एच) लेकिन धारा 30 (4) की भी व्याख्या की जानी चाहिए। चूँकि धोखाधड़ी सभी गंभीर कृत्यों को दूषित करती है, इसलिए अपील की अनुमति दी जानी चाहिए। कानूनी अयोग्यता को कथित बहिष्कार द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है, ऐसी अयोग्यता तथ्य का विषय है जिस पर किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी छूट के बावजूद अदालतों द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

या ऋणदाता। समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद

270 दिनों की अनिवार्य अवधि, यानी सी. आई. आर. पी. अवधि की समाप्ति के बाद। चूंकि धारा 12 का स्पष्ट उल्लंघन है, इसलिए पारित आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने के. शशिधर बनाम भारत संघ (2018 की सिविल अपील 10673 में दिनांकित 05.02.2019 आदेश) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने की मांग की है। अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष संशोधित योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा कभी भी अनुमोदित नहीं किया गया था, जिसमें प्रतिवादी द्वारा दी गई सशर्त सहमति भी शामिल थी, जिसे गलती से स्वीकार कर लिया गया था।

27. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष पात्रता पर सवाल उठाने के लिए कानून में कोई रोक नहीं है क्योंकि अपीलार्थी इससे पहले न तो पक्षकार था।

इससे पहले के अवसर पर न ही योग्यता के आधार पर कोई निर्णय लिया गया था

अपीलीय न्यायाधिकरण। इसलिए, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की पुष्टि करता है, को दरकिनार करने की आवश्यकता है।

उत्तरदाता की प्रस्तुतियाँः

28. समाधान योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता पर विशेषज्ञ की रिपोर्ट से संतुष्ट होने पर सी. ओ. सी. द्वारा अपने व्यावसायिक विवेक में किए गए निर्णय में इस न्यायालय द्वारा अपने विचारों को प्रतिस्थापित करके हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार की गई संशोधित योजना प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत पहले की योजना में सुधार है और इसलिए, उस मामले में कोई शिकायत नहीं हो सकती है।

29. संहिता के उद्देश्य को धारा 29ए (एच) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अपीलार्थी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्णय से अवगत है

पहली बार में इसे और आगे ले जाना चाहिए था, जैसे कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 3 की पात्रता पर सवाल उठाने से रोक दिया जाता है -

संहिता की धारा 29ए (एच) के तहत एक समाधान योजना प्रस्तुत करें। प्रावधान की शाब्दिक व्याख्या इस हद तक की जानी चाहिए कि एक व्यक्तिगत गारंटर को समाधान योजना प्रस्तुत करने से केवल तभी रोका जाता है जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले लेनदार ने समाधान आवेदक द्वारा उक्त लेनदार के पक्ष में निष्पादित व्यक्तिगत गारंटी का आह्वान किया हो।

30. आर. बी. एल. बैंक द्वारा संहिता की धारा 7 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन के समय कोई व्यक्तिगत गारंटी लागू नहीं की गई थी। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और ए. एन. आर. के संघ का आह्वान।

वी. एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

इलाहाबाद बैंक और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर द्वारा गारंटी

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत सदस्यों के बीच निष्पादित अंतर-समझौता के संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से अवैध है। बैंकों का संघ। अन्यथा भी यह प्रासंगिक नहीं है क्योंकि न तो इलाहाबाद बैंक और न ही स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किया था।

31. पहला उत्तरदाता अभी तक एक चालू चिंता है और समाधान योजना 18.04.2018 के बाद से कार्यान्वयन के अधीन है। का उद्देश्य

संहिता कॉर्पोरेट देनदार का पुनरुद्धार है और परिसमापन अंतिम उपाय है। इस स्तर पर किसी भी हस्तक्षेप का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह संहिता के उद्देश्य के खिलाफ होगा। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने रुपये से अधिक का निवेश किया है। 63 जब से समाधान योजना चल रही है और इसे रुपये जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। 300 उत्तरदाता संख्या 1 को पुनर्जीवित करने के लिए करोड़। उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना की मंजूरी के बाद से, राष्ट्रीय महत्व की कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई अन्य निष्पादित की जा रही हैं। इसके अलावा, सभी श्रमिकों को भी पूरा भुगतान किया गया है, और सभी वर्तमान कर्मचारियों, परिचालन लेनदारों और वैधानिक बकाया का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है।

32. दोनों मंचों ने विस्तार और बहिष्कार के मुद्दे का सही अर्थ निकाला है। मान लीजिए, मुकदमेबाजी के पहले दौर थे और

अन्त में इस न्यायालय द्वारा अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए निष्कर्ष निकाला गया कि मुकदमेबाजी में बिताए गए समय के आलोक में परिदृश्य बहिष्करण की अनुमति दी जानी चाहिए।

33. उपरोक्त प्रस्तुतियों को दबाते हुए, के लिए वकील

उत्तरदाताओं ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करने की मांग की हैः

2 एससीसी 1
ऋणदाताओं की समिति, एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता (2020) 8 एससीसी 531।

अपोलो ज्योति एल. एल. सी. और अन्य। वी. ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड (कंपनी)

2018 की अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 548।
डी. बी. एस. बैंक लिमिटेड बनाम शरद सांघी (2019 की सिविल अपील संख्या 3434 3436)

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एबिक्स सिंगापुर प्रा. लिमिटेड बनाम। एडुकॉम्प सॉल्यूशंस का सीओसी

लिमिटेड 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 707
नेशनल स्पॉट एक्सचेंज बनाम। अनिल कोहली 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 716

सांख्यिकीय हस्तक्षेपः

34. वैधानिक व्याख्या को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत है

इस न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर नियमित रूप से कार्य किया गया। उक्त सिद्धांत को नष्ट करते समय क़ानून और उसके तहत निहित प्रावधानों पर पर्याप्त विचार करना होगा। एस किसी भी व्याख्या से बचने पर है जो कानून के पीछे चोट या इरादे का कारण बन सकती है।

35. लॉर्ड डेनिंग इन सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड v. आशेर, (1949) 481 न्यायालय द्वारा निभाई जाने वाली आवश्यक भूमिका से संबंधित है।

एक संभावित दोष हैः

" जब कोई दोष प्रकट होता है तो एक न्यायाधीश केवल अपने हाथ जोड़कर ड्राफ्ट्समैन को दोषी नहीं ठहरा सकता है। उसे संसद के इरादे को खोजने के रचनात्मक कार्य पर काम करने के लिए तैयार होना चाहिए और फिर उसे लिखित शब्द का पूरक होना चाहिए ताकि विधायिका के इरादे को 'बल और जीवन' दिया जा सके। एक न्यायाधीश को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि कैसे, अगर अधिनियम के निर्माताओं को खुद यह पता चला होता

इसकी बनावट में गड़बड़, उन्होंने इसे सीधा कर दिया होगा? फिर उसे वैसा ही करना चाहिए जैसा उन्होंने किया होगा। एक न्यायाधीश को उस सामग्री को नहीं बदलना चाहिए जिससे अधिनियम बुना गया है, लेकिन वह इसे समाप्त कर सकता है और उसे करना चाहिए।

द क्रेज़ "।

36. राज्यों के हस्तक्षेप पर मैक्सवेल, 11 वीं

पर

" कहा जाता है कि यह न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह एक क़ानून का ऐसा निर्माण करे जो शरारत को दबाए और उपचार को आगे बढ़ाए। यहां तक कि जहां भाषा का सामान्य अर्थ विधायिका के पूरे उद्देश्य से कम हो जाता है, वहां भी अधिक विस्तारित अर्थ हो सकता है

शब्दों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, अगर वे इसके प्रति काफी संवेदनशील हैं। द. निर्माण, निश्चित रूप से, शब्दों के प्राकृतिक अर्थ से स्पष्ट रूप से हटाए गए मामलों को शामिल करने के लिए तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए। (पेज। 66)

" ..... विधायिका के सामान्य उद्देश्य, या किसी विशेष मार्ग में इसकी भाषा के अर्थ को निर्धारित करने में, यह स्पष्ट है।

कि वह इरादा जो बड़ौदा और ए. एन. आर. के ए. एन. के अनुसार सबसे अधिक प्रतीत होता है।

वी. एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

सुविधा, कारण, न्याय या कानूनी सिद्धांतों को, संदिग्ध महत्व के सभी मामलों में, सही माना जाना चाहिए। (पेज।

183)

37. क्रेइज़ इन स्टेट्यूट लॉ, 7 वां संस्करण, पृष्ठ। 262 :

" ..... न्याय न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे कानून के पूरे दायरे को ध्यान से ध्यान में रखते हुए विधायिका के वास्तविक इरादे को प्राप्त करने का प्रयास करें।

विषय-वस्तु के लिए, प्रावधान के महत्व और उस प्रावधान के संबंध को अधिनियम द्वारा सुरक्षित किए जाने के उद्देश्य से सामान्य उद्देश्य के साथ विचार करें, और उस पहलू में मामले की समीक्षा करने पर यह तय करें कि क्या अधिनियम को अनिवार्य कहा जाता है।

या केवल निर्देशिका "। 38. एक चालक, राज्य का निर्माण, दूसरा संस्करण,

पेज। 37 :

योजना के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से व्याकरणिक और साधारण अर्थ अधिनियम, अधिनियम का उद्देश्य और संसद का इरादा।

39. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कई अन्य अवसरों पर दोहराया गया है, 'लिटरल टू हेडन के गोल्डन रूल' के माध्यम से यू. टी. का न्याय करना एक संकीर्ण चक्र से गुजरा है। इस प्रकार, हम एक उचित को लागू करने के चरण में आ गए हैं,

स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्माण सिद्धांत।

40. भारतीय रिजर्व बैंक बनाम में रेटेड निर्णय में न्यायमूर्ति चिन्नाप्पा रेड्डी के अक्सर उद्धृत शब्द। पीयरलेस जनरल सीई एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, (1987) 1 एससीसी 424 आज भीः

" 33. व्याख्या पाठ और संदर्भ पर निर्भर होनी चाहिए। वे व्याख्या के आधार हैं। यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि यदि पाठ बनावट है, तो संदर्भ वह है जो रंग देता है। इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। वह व्याख्या सबसे अच्छी है जो पाठ्य व्याख्या को प्रासंगिक से मेल खाती है। एक क़ानून सबसे अच्छा है

व्याख्या तब की जाती है जब हम जानते हैं कि इसे क्यों लागू किया गया था। इसके साथ

यह जानते हुए कि क़ानून को पहले समग्र रूप से और फिर खंड दर खंड, खंड दर खंड, वाक्यांश दर वाक्यांश और शब्द दर शब्द पढ़ा जाना चाहिए। यदि किसी क़ानून को उसके अधिनियमन के संदर्भ में, क़ानून निर्माता के चश्मे के साथ देखा जाता है, तो ऐसे संदर्भ द्वारा प्रदान किया जाता है, [2022] 12 एस. सी. आर.

इसकी योजना, खंड, खंड, वाक्यांश और शब्द रंग ले सकते हैं और संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए चश्मे के बिना क़ानून को देखने की तुलना में अलग दिखाई दे सकते हैं। इन चश्मे के साथ हमें अधिनियम को समग्र रूप से देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि प्रत्येक में क्या है।

धारा, प्रत्येक खंड, प्रत्येक वाक्यांश और प्रत्येक शब्द का अर्थ और रचना इस प्रकार की गई है कि वे पूरे अधिनियम की योजना में फिट बैठें। कानून के किसी भी भाग और कानून के किसी भी शब्द को अलग से नहीं लिया जा सकता है। क़ानूनों का अर्थ इस तरह से निकाला जाना चाहिए कि हर शब्द का एक स्थान हो और सब कुछ अपने स्थान पर हो।

41. भारत संघ बनाम के मामले में मार्ग का प्रस्ताव करें। एल्फिस्टन

और डब्ल्यूवीजी। कं. लिमिटेड, (2001) 4 एस. सी. सी. 139:

" विधायी आशय का पता लगाने के लिए किसी विशेष क़ानून की जांच करते समय यह न्यायाधीशों का दृष्टिकोण है कि वे हड़ताल करके किसी समाधान पर पहुँचते हैं।

यह स्वीकार किए बिना कि उन्होंने किसी भी तरह से क़ानून का पूरक किया है, क़ानून के अक्षर और भावना के बीच संतुलन उचित मानदंड होगा। न्यायाधीशों का कर्तव्य व्याख्या करना है और कानून बनाना नहीं, यह एक मौलिक नियम है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक सीमांत क्षेत्र है जिसमें अदालतें कानून को ढालती हैं या रचनात्मक रूप से व्याख्या करती हैं और इस प्रकार वे कानून के फिनिशर, रिफाइनर और पॉलिशर्स हैं जो एक राज्य में उनके पास आते हैं जिसके लिए आगे की प्रक्रिया की अलग-अलग डिग्री की आवश्यकता होती है। (देखिएः कोरोक्राफ्ट लिमिटेड बनाम पैन अमेरिकन एयरवेज इंक. [(1968) 3 डब्ल्यूएलआर 714: (1968) 2 सभी ईआर 1059: (1969) 1 क्यू. बी. 616] डब्ल्यू. एल. आर, पी. 732 और हरियाणा राज्य बनाम। सम्पुरन सिंह [(1975) 2 एससीसी 810]। लेकिन कल्पना के किसी भी विस्तार से एक न्यायाधीश को विधायिका के एक कथित इरादे के माध्यम से क़ानून में जो कुछ भी है उससे कुछ अधिक जोड़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए, यह कानूनों के निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि किसी अधिनियम का सही या कानूनी अर्थ किसी भी अधिनियम के प्रकाश में अधिनियम में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ पर विचार करके प्राप्त किया जाता है।

स्पष्ट उद्देश्य या उद्देश्य जो शरारत को समझता है और इसका उपाय जिसके लिए अधिनियम निर्देशित किया गया है।

42. संहिता की व्याख्या को छूते हुए, यह न्यायालय

एक से अधिक अवसरों में एक ही दृष्टिकोण अपनाया गया है

लोर मित्तल इंडिया प्रा. लिमिटेड वी. सतीश कुमार गुप्ता, (2019) 2 एस. सी. सी. 1, निक्स आर्क (पी) लिमिटेड बनाम। स्पेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, (2021) 3 एस. सी. सी. और अरुण कुमार जगतरामका बनाम। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, (2021) सी 474।

एंक ऑफ बड़ौदा और ए. एन. आर. वी. एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:

43. संहिता को अपना प्रशंसनीय उद्देश्य मिला है। इसका उद्देश्य लेनदारों की ई भागीदारी के साथ कॉर्पोरेट देनदार के पुनर्वास और पुनरुद्धार के लिए उपकर की सुविधा प्रदान करना है। इस प्रकार, पूरी प्रक्रिया में दो प्रमुख कारक होते हैं, अर्थात्। , ((i) लेनदारों की समिति और (ii) दर देनदार। अन्य केवल सुविधा प्रदाता हैं। लेनदारों की समिति और निगमित आर की तुलना में अधिक ब्याज कभी नहीं हो सकता है। हम स्विस रिबन टी. डी. के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को उद्धृत करके अधिनियम के पीछे के तर्क को गुणा नहीं करना चाहते हैं। वी. भारत संघ, (2019) 4 एस. सी. सी. 17, जिसने भी पाया है

अरुण के मामले में बाद के निर्णय पर रोक आर (ऊपर):

" 27. जैसा कि स्पष्ट है, प्रस्तावना इस बात की अंतर्दृष्टि देती है कि संहिता द्वारा क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है। संहिता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, कॉर्पोरेट के पुनर्गठन और दिवाला समाधान के लिए एक संहिता।

कर्जदार। जब तक इस तरह का पुनर्गठन समयबद्ध तरीके से नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति का मूल्य कम हो जाएगा। अतः ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण

यह कि वे कुशलता से चल रही चिंताओं के रूप में संचालित होते हैं, संहिता का एक और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह बदले में उद्यमिता को बढ़ावा देगा क्योंकि निगमित देनदार के प्रबंधन में व्यक्तियों को हटा दिया जाता है और उद्यमियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। कब,

इसलिए, एक समाधान योजना शुरू होती है और कॉर्पोरेट देनदार को आर्थिक मुख्यधारा में वापस लाया जाता है, यह अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम होता है, जो बदले में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हाथों में ऋण की व्यवहार्यता को बढ़ाता है। सबसे बढ़कर, अंत में, सभी हितधारकों के हितों की देखभाल की जाती है क्योंकि निगमित देनदार स्वयं समाधान योजना का लाभार्थी बन जाता है-श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, ऋणदाताओं को लंबे समय में पूरा भुगतान किया जाएगा, और शेयरधारक/निवेशक अपने निवेश को अधिकतम करने में सक्षम होंगे। एक कॉर्पोरेट देनदार का समय पर समाधान, जो लाल रंग में है, एक प्रभावी कानूनी ढांचे द्वारा, समर्थन करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा

ऋण बाजारों का विकास। चूंकि अधिक निवेश किया जा सकता है

अर्थव्यवस्था में वापस आए धन से किया गया व्यवसाय तब आसान हो जाता है, जो कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च आर्थिक विकास और विकास की ओर ले जाता है। दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना किसी भी तरह से परिसमापन का उल्लेख नहीं करती है, जिसका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है यदि [2022] 12 एस. सी. आर. हो।

या तो कोई समाधान योजना नहीं है या प्रस्तुत की गई समाधान योजनाएं सही नहीं हैं। परिसमापन में भी परिसमापक निगमित देनदार के व्यवसाय को चालू चिंता के रूप में बेच सकता है। 28. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कानून का प्राथमिक ध्यान कॉर्पोरेट देनदार को अपने स्वयं के प्रबंधन से और परिसमापन द्वारा कॉर्पोरेट मृत्यु से बचाकर कॉर्पोरेट देनदार का पुनरुद्धार और निरंतरता सुनिश्चित करना है। इस प्रकार संहिता एक लाभकारी कानून है जो कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करता है, न कि केवल लेनदारों के लिए वसूली कानून है। इसलिए निगमित देनदार के हितों को विभाजित किया गया है और

इसके प्रवर्तकों/जो प्रबंधन में हैं, उनसे अलग। इस प्रकार, समाधान प्रक्रिया निगम के लिए प्रतिकूल नहीं है।

ऋणी लेकिन, वास्तव में, अपने हितों की रक्षा करता है। धारा 14 द्वारा लगाया गया अधिस्थगन स्वयं निगमित देनदार के हित में है, जिससे समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का संरक्षण होता है। समय सीमा जिसके भीतर समाधान किया जाता है प्रक्रिया फिर से होनी है जो कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों को और कमजोर होने से बचाती है, और यह देखकर अपने सभी लेनदारों और श्रमिकों की भी रक्षा करती है कि समाधान प्रक्रिया इस प्रकार से गुजरती है

इन सब का अंत होता है। चालू

धारा 29 ए और इसका उद्देश्य

हस्तक्षेपः

44. संहिता की धारा 29 ए भी पहले के अवसरों पर इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई है, हालांकि, जिस प्रावधान से हम संबंधित हैं, यानी धारा 29 ए (एच) पर विशेष रूप से विचार नहीं किया गया था। हम धारा 29 ए (सी) में नहीं जाना चाहते क्योंकि इन कार्यवाही में हमारे सामने कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है। 45. जैसा कि कहा गया है, धारा 29 ए संहिता का एक पहलू है, और इसलिए, इस प्रावधान को उसके तहत निहित मुख्य उद्देश्य के साथ पढ़ा जाना चाहिए। संहिता की धारा 29 ए के पीछे का उद्देश्य अनुचित और बेईमान तत्वों को उनके व्यक्तिगत हितों को हस्तक्षेप करने से रोकते हुए समाधान प्रक्रिया में आने से बचना है। दूसरा, यह जानबूझकर कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को रोकने का प्रयास करता है जो अपनी अयोग्यता के आधार पर समाधान प्रक्रिया को विश्वास देने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं।

एंक ऑफ बड़ौदा और ए. एन. आर. वी. एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

46. तत्कालीन माननीय वित्त और निगम मामलों के मंत्री ने संसद के समक्ष यह बयान 29.12.2017 पर वेंसी और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 को पेश करते हुए दिया।

संहिता की धारा 29 ए को लागू किया गयाः

" इस नए अध्यादेश का मूल और आत्मा वास्तव में खंड 5 है, जो मूल विधेयक की धारा 29-ए है। मैं केवल यह समझा सकता हूं कि एक बार जब कोई कंपनी समाधान प्रक्रिया में जाती है, तो जहां तक कंपनी या उद्यम का संबंध है, संभावित समाधान प्रस्तावों के संबंध में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अब मूल अधिनियम में कई अयोग्यता खंड नहीं थे और इसलिए, धारा 29-ए उन लोगों का परिचय देती है जो आवेदन करने के योग्य नहीं हैं। उदाहरण के लिए एक अविमुक्त दिवालिया के संबंध में एक खंड है जो आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है; एक व्यक्ति जिसे निदेशक के रूप में कंपनी अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है वह आवेदन नहीं कर सकता है और एक व्यक्ति जो एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है वह आवेदन नहीं कर सकता है। आवेदन करें। अतः ये वैधानिक अयोग्यताएँ हैं। और उन लोगों के संबंध में खंड (सी) में भी अयोग्यता है जो कॉर्पोरेट देनदार हैं और जो बोली लगाने के आवेदन की तारीख तक ब्याज का भुगतान करके खाते को चालू नहीं करते हैं, यानी आप यह नहीं कह सकते कि मेरे पास एनपीए है। मैं खाते को चालू नहीं कर रहा हूँ। खाते एन. पी. ए. बने रहेंगे और फिर भी मैं इसके लिए आवेदन करने जा रहा हूं। प्रभावी रूप से इस खंड का अर्थ यह होगा कि जो लोग प्रबंधन में हैं और जिनके कारण यह दिवालिया या गैर-निष्पादित परिसंपत्ति उत्पन्न हुई है, वे अब यह कहने की कोशिश करेंगे कि मैं खातों को चालू करने के मामले में किसी भी बकाया ऋण का निर्वहन नहीं करता हूं और फिर भी मैं आवेदन करना चाहूंगा और निर्धारित करना चाहूंगा

उद्यम को छूट मूल्य पर वापस करना, इसके लिए इस विशेष अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। इसलिए खंड 5 को उस उद्देश्य के साथ लाया गया है।

मन में "।

47. उपरोक्त विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण है -

कमियाँः

" 2. संहिता में किसी निगमित व्यक्ति के दिवाला समाधान और परिसमापन के प्रावधान किसी भी व्यक्ति को परिसमापन के समय समाधान योजना प्रस्तुत करने या कंपनी की परिसंपत्तियों की अधिग्रहण प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित या बाधित नहीं करते थे। इस बात पर चिंता जताई गई है कि जिन व्यक्तियों ने अपने कदाचार से कंपनियों के चूक में योगदान दिया है या अन्यथा अवांछनीय हैं, वे निषेध या प्रतिबंधों की कमी [2022] 12 एस. सी. आर. के कारण इस स्थिति का दुरुपयोग कर सकते हैं।

इस तरह के प्रावधान के अभाव में अपनी समाधान योजनाओं को प्रस्तुत किया, ऋणदाताओं की समिति को भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है बकाया राशियों को चुकाने के लिए एक उचित अवधि देना और

योग्य "।

48. चित्रा शर्मा के मामले में इस न्यायालय ने उपरोक्त पर ध्यान दिया। वी. भारत संघ, (2018) 18 एस. सी. सी. 575 और अरुण उर (ऊपर) में इसका अनुसरण किया गया, जिसमें इस न्यायालय ने दर देनदार को पुनर्जीवित करने और फिर से शुरू करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक गंभीर व्याख्या अपनाने की आवश्यकता पर विचार किया, जिसमें निगमित देनदार का परिसमापन अंतिम था।

: :

के संकल्प के लिए केंद्रीय रूप से कानून के शासन का पालन कॉर्पोरेट दिवालियापन। दूसरा, आई. बी. सी. कॉर्पोरेट दिवालियापन को व्यक्तिगत व्यवसाय द्वारा सामना की जाने वाली एक अलग समस्या के रूप में नहीं देखता है।

निकाय लेकिन इसे एक ढांचे के संदर्भ में रखता है जो संतुलन बनाकर आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने में सार्वजनिक हित पर आधारित है।

विविध हितधारक हित। तीसरा, आई. बी. सी. एक सामूहिक निकाय के रूप में कार्य करने वाले लेनदारों द्वारा लिए गए व्यावसायिक निर्णयों को इस आधार पर प्राथमिकता देता है कि ऋण बाजारों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट दिवालियापन का समय पर समाधान आवश्यक है।

और निवेश को प्रोत्साहित करें। चौथा, अपने विविध प्रावधानों में, आई. बी. सी. यह सुनिश्चित करता है कि निगमित उद्यमों के हित उनके प्रवर्तकों के हितों के साथ नहीं जुड़े हैं; निगमित संरचनाओं का आर्थिक मूल्य उनके प्रबंधन के पक्षपातपूर्ण हितों की तुलना में सामग्री में व्यापक है। आई. बी. सी. के इन हितकारी उद्देश्यों को तब प्राप्त किया जा सकता है जब समाधान प्रक्रिया की अखंडता सबसे आगे रखा गया। मुख्य रूप से, आई. बी. सी. एक कानून है जिसका उद्देश्य दिवालाओं का पुनर्गठन और समाधान करना है। परिसमापन अंतिम उपाय है। इन उद्देश्यों को केवल एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए अदालतों की आवश्यकता होती है, साथ ही इसके प्रावधानों को अर्थ और सामग्री प्रदान करते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि समस्याएं बड़ौदा और ए. एन. आर. की हैं।

वी. एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

जो पहले के शासन को घेरते हैं, वे पिछले दरवाजे से कपटपूर्ण रणनीति के माध्यम से प्रवेश नहीं करते हैं।

XXX

XXX

XXX

48. धारा 29-ए को लागू करने के अंतर्निहित उद्देश्य को चित्रा शर्मा बनाम मामले में इस न्यायालय के एक फैसले में स्पष्ट किया गया था। भारत संघ (2018) 18 एस. सी. सी. 575 (इसके बाद "चित्रा शर्मा" के रूप में संदर्भित)। हममें से एक (डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.) ने तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए उद्देश्यों के कथन पर ध्यान दिया

और विधेयक के साथ कारण और उद्देश्य पर जोर दिया

धारा 29-क इस प्रकार हैः

एक विशिष्ट उद्देश्य। धारा 29-ए के प्रावधान हैंः यह सुनिश्चित करने का इरादा है कि दूसरों के बीच, जिम्मेदार व्यक्ति

निगमित देनदार की दिवालियापन के लिए भाग नहीं लेते हैं

समाधान प्रक्रिया। वस्तुओं का कथन और

दिवाला और दिवालियापन संहिता से जुड़े कारण (संशोधन) विधेयक, 2017, जिसे अंततः इस रूप में अधिनियमित किया गया था

2018 का अधिनियम 8 इस प्रकार कहता हैः

" 2. दिवाला समाधान और परिसमापन के प्रावधान

संहिता में किसी निगमित व्यक्ति को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित नहीं किया गया है

समाधान योजना प्रस्तुत करने वाला कोई भी व्यक्ति या

संकल्प में भाग लेने के लिए निषेध या प्रतिबंध या परिसमापन प्रक्रिया, और नियंत्रण प्राप्त करें या फिर से प्राप्त करें

निगमित देनदार। यह निर्धारित प्रक्रियाओं को कमजोर कर सकता है।

कोड में नीचे के रूप में बेईमान व्यक्ति होगा

जिन्होंने अपनी समाधान योजनाएं प्रस्तुत की होंगी इस तरह के प्रावधान का अभाव, जिम्मेदारी भी दी जा रही है

देने के लिए लेनदारों की समिति को सौंपा गया

बकाया राशियों को चुकाने के लिए उचित अवधि

संसद स्पष्ट रूप से इस तथ्य पर चिंतित थी कि व्यक्ति

जिनके कदाचार ने देनदार कंपनियों की ओर से चूक में योगदान दिया है, एक प्रविष्टि प्राप्त करने के लिए समाधान प्रक्रिया में उनकी भागीदारी पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति का दुरुपयोग करते हैं। संसद का विचार था कि ऐसे व्यक्तियों को संकल्प प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने से प्रस्ताव के हितकारी उद्देश्य और उद्देश्य को नुकसान पहुंचेगा।

एक्ट करें। यह इस पृष्ठभूमि में था कि धारा 29-ए ने अब उन व्यक्तियों की एक सूची निर्दिष्ट की है जो समाधान आवेदक होने के योग्य नहीं हैं।

(मूल और आपूर्ति में जोर)

49. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "धारा 29-ए को व्यापक लोक हित में और प्रभावी निगम की सुविधा के लिए अधिनियमित किया गया है।

शासन "। न्यायालय ने आगे कहा कि "संसद अधिनियम में एक खामी को ठीक किया जिसने सी. आई. आर. पी. में पूर्ववर्ती प्रबंधनों को पिछले दरवाजे से प्रवेश की अनुमति दी।

XXX

XXX

XXX

52. चित्रा में पहले के फैसले की ओर इशारा करते हुए

शर्मा [चित्रा शर्मा बनाम। भारत संघ, (2018) 18 एस. सी. सी. 575] और आर्सेलर मित्तल [आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड v. सतीश

कुमार गुप्ता, (2019) 2 एस. सी. सी. 1], जिसने धारा 29-ए के अंतर्निहित उद्देश्य को स्पष्ट किया था, इस न्यायालय ने स्विस रिबन [स्विस रिबन (पी) लिमिटेड बनाम. भारत संघ, (2019) 4 एस. सी. सी. 17] ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 29-ए में अंतर्निहित मानक "धारा 35 (1) (एफ) में व्याप्त है" जब यह न केवल समाधान आवेदकों पर लागू होता है, बल्कि परिसमापन पर भी लागू होता है। इस याचिका को खारिज करते हुए कि धारा 35 (1) (एफ) अधिकार से बाहर है, इस न्यायालय ने कहाः (स्विस रिबन मामला [स्विस रिबन (पी)] लिमिटेड वी. भारत संघ, (2019) 4 एस. सी. सी. 17]

" 102. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार,

जब अचल और चल संपत्ति परिसमापन में बेची जाती है, इसे किसी भी व्यक्ति को बेचा जाना चाहिए, जिसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो

समाधान आवेदक होने के लिए पात्र नहीं है क्योंकि, अक्सर, यह है

सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा पीसमील। वैसा ही। इस निर्णय में पहले जो तर्क दिया गया है, वह

इस परंतुक पर भी लागू होता है-इसमें कोई निहित अधिकार नहीं है

निगमित देनदार की अचल और चल संपत्ति परिसमापन में। इसके अलावा, बड़ौदा और ए. एन. आर. को पसंद करने वाले व्यक्तियों की श्रेणियों को देखते हुए।

वी. एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

धारा 29-ए के तहत अयोग्य हैं, जिसमें व्यक्ति शामिल हैं।

जो भ्रष्ट हैं, या ऐसे व्यक्ति जो किसी तरह से कानून की अवहेलना करते हैं, और जो व्यक्ति अनुमत अनुग्रह अवधि में अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हैं, उन्हें इस परंतुक द्वारा निगमित देनदार की संपत्ति खरीदने से रोक दिया जाता है। जिनका ऋण उन्होंने या तो जानबूझकर नहीं चुकाया है या चुकाने में असमर्थ रहे हैं। विधायी उद्देश्य जो व्याप्त है

धारा 29-ए तब भी लागू होती है जब यह न केवल समाधान आवेदकों पर लागू होती है, बल्कि परिसमापन पर भी लागू होती है। नतीजतन, यह याचिका भी खारिज कर दी जाती है।

53. निर्णयों की यह पंक्ति, चित्रा शर्मा [चित्रा शर्मा बनाम। भारत संघ, (2018) 18 एस. सी. सी. 575] और आर्सेलर मित्तल [आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड को जारी रखना। सतीश कुमार गुप्ता, (2019) 2 एस. सी. सी. 1] और स्विस रिबन [स्विस रिबन (पी) लिमिटेड। भारत संघ, (2019) 4 एस. सी. सी. 17] धारा 29-ए की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को अपनाने में महत्वपूर्ण है। धारा 29-ए यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है कि आई. बी. सी. के उद्देश्यों को "अयोग्य व्यक्तियों" को अनुमति देकर पराजित नहीं किया जाता है, जिसमें प्रबंधन में उन लोगों तक सीमित नहीं है जिन्होंने कंपनी को चलाया है, संकल्प के नए अवतार में लौटने के लिए

आवेदक। धारा 35 (1) (च) को उसी निरंतरता में रखा गया है जब न्यायालय यह देखता है कि किसी निगम के पूर्व प्रवर्तक

देनदार के पास परिसमापन में निगमित देनदार की संपत्ति के लिए बोली लगाने का कोई निहित अधिकार नहीं है। वे मूल्य जो धारा 29-ए को सक्रिय करते हैं, उसी श्रेणी के व्यक्तियों को इस प्रक्रिया से बाहर रखने के अंतर्निहित तर्क को पोषण प्रदान करते हैं।

[इस संदर्भ में फीनिक्स एआरसी (पी) लिमिटेड बनाम में निर्णय देखें। स्पेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड [फीनिक्स एआरसी (पी) लिमिटेड बनाम। स्पेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, (2021) 3 एससीसी 475: (2021) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 1 पैरा 103-104] पर, रमेश कैमल बनाम। सीमेंस गेम्सा रिन्यूएबल पावर (पी) लिमिटेड. [रमेश कैमल बनाम। सीमेंस गेम्सा रिन्यूएबल पावर (पी) लिमिटेड, (2021) 3 एससीसी 224: (2021) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 65 पैरा 23 और 25 पर] और जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड v. एक्सिस बैंक लिमिटेड [जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड बनाम. एक्सिस बैंक लिमिटेड (2020) 8 एस. सी. सी. 401: (2021) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 334 पैरा 28.4 और 28.5 पर]] [2022] 12 एस. सी. आर.

सतत पुनरुत्थान

54. धारा 29-ए के तहत अयोग्यता का उद्देश्य एक स्थायी पुनरुद्धार प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि एक व्यक्ति जो किसी योजना या चूक से समस्या का कारण है, समाधान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता है। धारा 29-ए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए,

इसमें न केवल निगमित देनदार के संबंध में आचरण शामिल है

लेकिन अन्य कंपनियों के संबंध में भी। इस बात से पता चलता है कि

खंड (ग) ("के अधीन निगमित देनदार का खाता

ऐसे व्यक्ति का प्रबंधन या नियंत्रण या जिसका ऐसा व्यक्ति है

एक प्रवर्तक, एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत), और खंड (ई), (एफ), (जी), (एच) और (आई) जिन्होंने निगमित देनदार के संबंध में आचरण से परे जाल का विस्तार किया है।

49. फीनिक्स आर्क (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने मंजूरी देते हुए उद्देश्यपूर्ण और रचनात्मक व्याख्या के सिद्धांत पर विचार किया

इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दी गई व्याख्या और दृष्टिकोण

आर्केलर मित्तल में आयन (ऊपर):

" 89. आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता

[(2019) 2 एस. सी. सी. 1], मुद्दा यह था कि क्या इसकी अयोग्यता

संलग्न संहिता की धारा 29-ए (सी) के तहत समाधान आवेदक

सी. आई. आर. पी. शुरू होने की तिथि पर या किसी आवेदक को

वह समय जब संकल्प द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत की जाती है आवेदक। इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए, रोहिंटन एफ. नरीमन, जे.

2018 से पहले के संशोधन की व्याख्या करते हुए, धारा 29-ए (सी) का निर्माण,

निम्नलिखित शब्दों में: (एससीसी पीपी। 61-62 , पैरा 46)

" 46. हमारे अनुसार, यह स्पष्ट है कि धारा 29-ए के प्रारंभिक शब्द इस बात का संकेत देते हैं कि खंड (सी) किस समय पर कार्य करेगा। धारा 29 के प्रारंभिक शब्द-ए में कहा गया है: कोई व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने का पात्र नहीं होगा। यह स्पष्ट है।

इसलिए अयोग्यता का चरण तब जुड़ता है जब

समाधान योजना एक समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाती है। द.

श्री रोहतगी द्वारा व्यक्त किया गया विपरीत दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है।

निगमित दिवालियापन की शुरुआत की तारीख के रूप में

समाधान प्रक्रिया केवल यह गणना करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है कि क्या किसी व्यक्ति के गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष समाप्त हो गया है। इसके अलावा, उपयोग की गई अभिव्यक्ति "है" है, जैसा कि डॉ. सिंघवी ने सही तर्क दिया है, प्रेसेंटी में है। इसकी तुलना "हैज ए. एन. के. ऑफ बड़ौदा एंड ए. एन. आर". से की जानी चाहिए।

वी. एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

"किया गया", जिसका उपयोग खंड (घ) और (छ) में किया जाता है, जो एक

समय का पूर्ववर्ती बिंदु। नतीजतन, 2018 का संशोधन

उस समय के बारे में जब खंड में अयोग्यता (ग) धारा 29-क संलग्न की जाएगी।

XXX

XXX

XXX

91. हालांकि, यह जांच करना प्रासंगिक है कि क्या उस उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा किया गया है जिसके लिए परंतुक अधिनियमित किया गया था पहले प्रावधान की शाब्दिक व्याख्या। न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने कानूनों की व्याख्या पर अपनी आधिकारिक टिप्पणी में, वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत [(प्रथम संस्करण, लेक्सिस नेक्सिस 2015)] ने कहा हैः

" इस प्रकार विधायिका की मंशा दो पहलुओं को आत्मसात करती हैः

एक पहलू में यह "अर्थ" की अवधारणा रखता है अर्थात

शब्दों का अर्थ है और एक अन्य पहलू में, यह अवधारणा को व्यक्त करता है

" उद्देश्य और उद्देश्य "या" कारण और आत्मा "व्याप्त है कानून के माध्यम से। इसलिए निर्माण की प्रक्रिया,

शाब्दिक और उद्देश्यपूर्ण दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ती है। दूसरे शब्दों में कहें तो

विधायी इरादा अर्थात एक का सही या कानूनी अर्थ

अधिनियमन शब्दों के अर्थ पर विचार करके किया जाता है।

किसी स्पष्ट उद्देश्य के आलोक में अधिनियम में उपयोग किया जाता है या

वह वस्तु जो शरारत और उसके उपचार को समझती है

अधिनियम निर्देशित किया जाता है। इस सूत्रीकरण को बाद में प्राप्त हुआ

सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी और "कार्डिनल" कहा जाता था

निर्माण का सिद्धांत "।

92. न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने कहा कि कुछ अधिनियमों के उद्देश्यों और उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए एक उदार निर्माण की आवश्यकता होती हैः

" शब्दों और अनुप्रयोग की एक नंगी यांत्रिक व्याख्या

उद्देश्य की अवधारणा से रहित विधायी इरादे में कमी आएगी।

निरर्थकता के लिए अधिकांश उपचारात्मक और लाभकारी कानून। के रूप में

अय्यर, जे. द्वारा कहा गया है, "शाब्दिक अर्थ त्वचा को देखना है और

आत्मा को याद करें। निर्माण की न्यायिक कुंजी समग्र है देह की धारणा और प्रावधान की देह। " यहां तक कि

अधिनियमों का निर्माण करना जैसे कि अवधि निर्धारित करना

कार्यवाहियों की शुरुआत के लिए सीमा जहां उद्देश्य है

केवल लोगों को सूचित करने के लिए कि एक निश्चित समय के बाद [2022] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निष्पक्ष खेल और प्राकृतिक न्याय जो विधायिका ने कभी नहीं किया ओवरबोर्ड फेंकने का इरादा। इसी तरह, एक कर कानून में

कर चोरी को रोकने के लिए अधिनियमित प्रावधानों को उदार बनाया गया है

कर को दबाने के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए निर्माण चोरी हालांकि एक आरोप लगाने वाले प्रावधानों का अर्थ लगाया जाता है

सख्ती से कर का भुगतान करने के लिए कोई प्राथमिकता देयता नहीं है और

एक प्रभार अनुभाग का उद्देश्य केवल उस पर शुल्क लगाना है

व्यक्तियों और गतिविधियों को इसकी स्पष्ट शर्तों के भीतर लाया गया। इसके लिए

इसी कारण से, रक्षा सेवाओं से संबंधित एक कानून में "

राज्य की सुरक्षा और प्रवर्तन पर विचार

उच्च स्तर का अनुशासन अतिरिक्त रूप से हस्तक्षेप करता है और होना चाहिए

किसी भी अभिव्यक्ति की आवश्यकता से निपटने के दौरान निर्धारित भारांक

परिभाषित किया जाना या किसी प्रावधान की व्याख्या करने की आवश्यकता है।

5. अधिनियम के विभिन्न भागों में उपयोग किए गए समान शब्द हो सकते हैं

अलग-अलग अर्थ। जैसा कि न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह टिप्पणी करते हैं:

" नियम सामान्य अनुप्रयोग का है क्योंकि सबसे सरल शब्द भी लागू हो सकते हैं। संदर्भ द्वारा नियंत्रित किया जाए, और "यह कल्पना करने योग्य है", भगवान के रूप में

वाटसन ने कहा कि विधायिका ने एक खंड को अधिनियमित करते हुए

साधारण शब्दों में, एक ही क़ानून में अन्य शामिल किए जा सकते हैं

अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि भाषा विधायिका द्वारा उपयोग किया जाने वाला सादा या अस्पष्ट केवल सही मायने में हो सकता है

समग्र रूप से क़ानून का अध्ययन करके आया। कितनी दूर और कहाँ तक

कानून का प्रत्येक घटक भाग किस हद तक प्रभावित करता है

प्रत्येक दिए गए भाग में दूसरे भाग का अर्थ अलग होगा।

मामला। लेकिन किसी विशेष पर नियम के लागू होने का प्रभाव मामला, आवेदन करने की वैधता के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए

यह "।

(जोर दिया गया)

एंक ऑफ बड़ौदा और ए. एन. आर. वी. एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

94. इस संदर्भ में अभय सिंह चौटाला बनाम मामले में इस न्यायालय के पहले के फैसले का उल्लेख करना उपयोगी होगा। सी. बी. आई. [(2011) 7 एस. सी. सी. 141], जहाँ न्यायालय ने प्रेजेंटी में "है" शब्द की व्याख्या नहीं की क्योंकि इससे एक बेतुका परिणाम सामने आएगा, जो इस उद्देश्य को विफल कर देगा।

संबंधित प्रावधान। उस मामले में इस न्यायालय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 (1) की व्याख्या करनी थी, जिसमें प्रावधान किया गया थाः

" 19. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक है। (1) नहीं।

न्यायालय के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लेगा

धारा 7,10,11,13 और 15 कथित रूप से की गई हैं।

एक लोक सेवक द्वारा, पिछली मंजूरी के अलावा

(क) ऐसे व्यक्ति के मामले में जो संघ के मामलों के संबंध में कार्यरत है और उसके पद से हटाने योग्य नहीं है।

केंद्र द्वारा या उसकी मंजूरी के बिना कार्यालय

उस सरकार की सरकार;

(ख) ऐसे व्यक्ति के मामले में जो किसी राज्य के मामलों के संबंध में कार्यरत है और राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के अलावा अपने पद से हटाने योग्य नहीं है, उस सरकार का;

(ग) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, सक्षम प्राधिकारी का

उसे उसके कार्यालय से हटाने के लिए।

95. इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि धारा 19 (1) की शाब्दिक व्याख्या की जानी चाहिए। चूंकि "है" शब्द का उपयोग उप-धाराओं (ए), (बी) और (सी) में किया गया है, इसलिए यह आग्रह किया गया कि इससे एक लोक सेवक को बाहर रखा जाएगा जिसने पहले पद का दुरुपयोग किया था। समय पर और अब उस पद पर कब्जा करना बंद कर दिया है। इस न्यायालय ने सरपुरकर के माध्यम से बोलते हुए, जे. ने तर्क को खारिज कर दिया और कहाः (अभय सिंह चौटाला मामला (ऊपर), एस. सी. सी. पी. 163 , पैरा 44)

" 44. ..... हम खंड (ए), (बी) और (सी) में "है" शब्द के आधार पर तर्क को अस्वीकार करते हैं। यह सच है कि अनुभाग में काम करता है हालाँकि, खंड एक ऐसे व्यक्ति पर विचार करता है जो

लेने की तारीख पर एक लोक सेवक बना रहता है

संज्ञान। हालाँकि, व्याख्या के अनुसार, यह एक ऐसे व्यक्ति को बाहर करता है जिसने किसी अन्य पद का दुरुपयोग किया है, इसके अलावा जो वह संज्ञान लेने की तारीख को धारण कर रहा है, आवश्यक रूप से

निहितार्थ। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है, तो शाब्दिक की आवश्यकता

वर्तमान मामले में व्याख्या नहीं होगी। इसलिए, जबकि हम रॉबर्ट विग्राम [2022] 12 एस. सी. आर. में निर्धारित सिद्धांतों से सहमत हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्रॉफर्ड बनाम। रिचर्ड स्पूनर; बिडी [(1846 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 7)], इन री [1949 सीएच 121 (सी. ए.)] और बॉर्न (कर निरीक्षक) वी. नॉर्विच श्मशान लिमिटेड [(1967) 1 डब्ल्यूएलआर 691], हम

विशेष रूप से यह माना जाता है कि इस खंड की शाब्दिक व्याख्या करने से बेतुकेपन और कुछ अवांछित परिणाम मिलेंगे, जैसा कि हुआ था।

अंतुले [(1984) 2 एस. सी. सी. 183] में पहले ही इंगित किया जा चुका है।

5. इस न्यायालय ने आर. एस. नायक बनाम के निर्णय पर भरोसा किया। एआर.धारा 19 (1) की अपनी व्याख्या को मजबूत करने के लिए

भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम, 1947: (अभय सिंह चौटाला

से (ऊपर),)

" 22. ..... 24. ..... विद्वान वकील के सामने एक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया था कि एक मंत्री जो निर्विवाद रूप से एक लोक सेवक है, ने अपनी पीठ पर तेल लगा दिया था।

मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके, और फिर बंद कर दिया अदालत को लेने के लिए बुलाए जाने से पहले कार्यालय पकड़ें

उसके खिलाफ अपराध का संज्ञान और इसलिए, धारा 6 द्वारा अनुध्यात मंजूरी आवश्यक नहीं होगी; लेकिन यदि अपराध करने के बाद और अपराध करने की तारीख से पहले।

अपराध का संज्ञान लेते हुए, उन्हें नगरपालिका के रूप में चुना गया था

राष्ट्रपति किस हैसियत में वे संबंधित नगरपालिका कानून के तहत एक लोक सेवक थे, और उस तारीख को उस पद पर थे

जिस पर अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया

एक मंत्री के रूप में उनके द्वारा प्रतिबद्ध, एक मंजूरी आवश्यक होगी

और वह भी उस प्राधिकारी का जो उसे हटाने के लिए सक्षम है

नगरपालिका अध्यक्ष का कार्यालय। जवाब था

सकारात्मक। लेकिन यह चित्रण ही दिखाएगा कि

एक दर्जन अलग-अलग पद धारण करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति उसे आई. पी. सी. की धारा 21 के तहत एक लोक सेवक का दर्जा देता है और भले ही उसने केवल एक पद का दुरुपयोग किया हो जिसके लिए या तो एक वैध पद है। उस पर मुकदमा चलाने की मंजूरी या वह उस पद पर रहना बंद कर चुका है जब तक कि

अदालत को संज्ञान लेने के लिए कहा गया था, फिर भी इस धारणा पर, 11 अलग-अलग सक्षम अधिकारियों की मंजूरी।

जिनमें से प्रत्येक उसे 11 अलग-अलग स्थानों से हटाने का हकदार था।

अदालत द्वारा के ऑफ बड़ौदा और ए. एन. आर. को लेने से पहले सार्वजनिक कार्यालयों की आवश्यकता होगी।

वी. एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

ऐसे लोक सेवक द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान, एक पद का दुरुपयोग करते हुए जिसे उन्होंने धारण करना बंद कर दिया होगा।

इस तरह की व्याख्या निर्माण के सभी नियमों के विपरीत है।

और एक बेतुका अंतिम उत्पाद की ओर ले जाता है जो आवश्यक रूप से होना चाहिए

टाल दिया। विधान की व्याख्या हर कीमत पर इस तरह की होनी चाहिए -

इस तरह से कि यह एक बदमाश के चार्टर के रूप में काम नहीं करेगा। (एआर.

अंतुले मामला (ऊपर), पीपी। 206-207 , पैरा 24) "

(जोर दिया गया)

. इस न्यायालय ने धारा की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को मंजूरी दे दी है।

-आर्सेलर मित्तल (इंडिया) (पी) लिमिटेड में आई. बी. सी. v. सतीश कुमार

ऊपर (ऊपर), जहाँ यह देखा गया था किः (एससीसी पीपी। 46-47 , पैरा

9-30)

हेडन मामला [(1584) 3 Co Rep 7a], के सिद्धांत को संदर्भित करता है रचनात्मक व्याख्या इस प्रकार हैः (एरा मामला (ऊपर), एस. सी. सी.

पीपी। 200-01 & 204 , पैरा 122 और 127)

' 122. रचनात्मक व्याख्या के उदाहरण हैं जब न्यायालय

शाब्दिक भाषा के साथ-साथ उद्देश्य या दोनों को देखता है

कानून का उद्देश्य बेहतर ढंग से निर्धारित करने के लिए कि क्या

विधान के प्रारूपक द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों का अर्थ है। डी. आर. में वेंकटचलम बनाम। ट्रांसपोर्ट कम्र. [(1977) 2 एससीसी 273],

एकर एकटा प्रारंभिक उदाहरण सहमत निर्णयमे पाओल जाइत अछि।

बेग, जे. के विद्वान न्यायाधीश ने इसे अच्छी तरह से रखा जब उन्होंने

उन्होंने कहाः (एस. सी. सी पी. 287, पैरा 28)

“ 28. हालाँकि, यह तेजी से फैशनेबल होता जा रहा है।

किसी प्रावधान के लिए क्या बुनियादी है, इसके कुछ सिद्धांत के साथ शुरू करने के लिए

या एक अध्याय या एक क़ानून में या यहाँ तक कि हमारे संविधान में एक के अर्थ की व्याख्या और निर्धारण करने का आदेश

निर्माण, अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ, तो गाड़ी से पहले घोड़ा। यह हमें गंभीरता से गुमराह करने के लिए उपयुक्त है जब तक कि

निर्माण के ऐसे तरीके का उपयोग करने की प्रवृत्ति की जाँच की जाती है।

या इस न्यायालय द्वारा ठीक किया गया। एक खंड के लिए मूल क्या है

या एक क़ानून में एक अध्याय प्रदान किया गया हैः सबसे पहले, शब्दों से [2022] 12 एस. सी. आर.

कानून में ही उपयोग किया जाता है; दूसरा, उस संदर्भ से जिसमें कोई प्रावधान होता है, या, दूसरे शब्दों में, पूरे कानून को पढ़कर; तीसरा, प्रस्तावना द्वारा जो अनिश्चितता या संदेह के मामलों में कानून के अर्थ की "कुंजी" प्रदान कर सकती है; और चौथा, जहां अनिश्चितता को हल करने के लिए निर्माण के लिए कुछ और सहायता की आवश्यकता हो सकती है, विधायी इतिहास द्वारा जो उस व्यापक संदर्भ या परिप्रेक्ष्य को प्रकट करता है जिसमें एक विशेष आवश्यकता को पूरा करने या किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक प्रावधान किया गया था। अंतिम उल्लिखित विधि में निर्धारित शरारत नियम का एक अनुप्रयोग शामिल है

हेडन मामला (ऊपर) बहुत पहले का है।

127. इस प्रकार यह अंग्रेजी, यू. एस., ऑस्ट्रेलियाई के पढ़ने पर स्पष्ट है।

और हमारा अपना सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है कि "लक्ष्मण

रेखा को वास्तव में इससे दूर जाने के लिए बढ़ाया गया है

व्याख्या का कड़ाई से शाब्दिक नियम के नियम पर वापस

हेडन (ऊपर) का पुराना अंग्रेजी मामला, जहाँ न्यायालय को

एक के उद्देश्य, उद्देश्य, पाठ और संदर्भ का सहारा लें

न्यायिक परिणाम पर पहुँचने से पहले विशेष प्रावधान। में।

सबसे सम्मानित रूप से 400 साल पहले हेडन मामले में रखा गया था (ऊपर) '।

. धारा 29-ए की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या, दोनों के आधार पर

पाठ और जिस संदर्भ में प्रावधान अधिनियमित किया गया था,

इसलिए, उसी के बारे में हमारी व्याख्या को सूचित करें।

(जोर दिया गया) "

. हम पहले ही देख चुके हैं कि हम व्याख्या नहीं करना चाहते हैं

29 ए (सी) क्योंकि उस पर कोई तर्क नहीं दिया गया है, शायद

कोर। धारा 29 ए (एच) की प्रतिलिपि

. संहिता की धारा 29 ए (एच) एक और श्रेणी बनाती है -

समाधान आवेदक होने के योग्य नहीं होना।

बैंक ऑफ बड़ौदा और ए. एन. आर. के अलावा। वी. एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

संहिता की धारा 3 (23) में व्यक्तियों की कुछ श्रेणियां शामिल हैं और इस प्रकार, ऐसा कोई बहिष्करण नहीं है। यह केवल उदाहरणात्मक/समावेशी प्रकृति का है और इसलिए, अकेले धारा 29 ए में उल्लिखित व्यक्ति समाधान आवेदक होने के लिए अयोग्य हैं। 52. एक बार जब कोई व्यक्ति किसी निगमित देनदार द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में लेनदार के पक्ष में गारंटी निष्पादित करता है, और ऐसे मामले में जहां दिवालिया समाधान के लिए एक आवेदन स्वीकार किया गया है, उक्त गारंटी के आगे के तथ्य के साथ, बार क्वा पात्रता निश्चित रूप से लागू होगी। प्रावधान के लिए 'एक लेनदार' के पक्ष में गारंटी की आवश्यकता होती है। एक बार जब किसी लेनदार की ओर से दिवाला समाधान के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रक्रिया उनमें से एक होगी, और इसलिए, एक ही वर्ग के सभी लेनदारों के पास एक-दूसरे के बराबर अपने-अपने अधिकार होंगे। स्विस रिबन (ऊपर) के मामले में भी इस न्यायालय द्वारा इस स्थिति पर विचार किया गया हैः

" 82. यह स्पष्ट है कि एक बार धारा 7 से 9 के तहत किसी लेनदार की याचिका को स्वीकार करने के बाद संहिता लागू हो जाती है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष जो कार्यवाही होती है, वह एक सामूहिक कार्यवाही होने के नाते, आर. ई. एम. में एक कार्यवाही है। आरईएम में एक कार्यवाही होने के कारण, यह आवश्यक है कि समाधान प्रक्रिया की देखरेख करने वाला निकाय होना चाहिए

किसी भी व्यक्तिगत कॉर्पोरेट देनदार को अपने दावे का निपटान करने की अनुमति देने से पहले उनसे परामर्श किया जाता है। एक सवाल उठता है कि लेनदारों की समिति के गठन से पहले क्या होना है (निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार, अंतरिम समाधान पेशेवर की नियुक्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर किसी भी समय लेनदारों की समिति नियुक्त की जा सकती है)। हम यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी स्तर पर जहां अभी तक लेनदारों की समिति का गठन नहीं किया गया है, एक पक्ष कर सकता है

सीधे एन. सी. एल. टी. से संपर्क करें, जो न्यायाधिकरण, एन. सी. एल. टी. नियम, 2016 के नियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वापस लेने या निपटान के लिए एक आवेदन की अनुमति या अस्वीकृति दे सकता है। सभी संबंधित पक्षों को सुनने और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया जाएगा।

दिवाला आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है। ए के रूप में परिणामस्वरूप, उक्त प्रावधान [2022] 12 एस. सी. आर. के तहत अयोग्यता अर्जित करने के लिए क्या आवश्यक है।

दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मांग करने वाले किसी अन्य लेनदार द्वारा आवेदन दायर किए जाने के बावजूद, यह केवल एक व्यक्तिगत गारंटी का अस्तित्व है जो एकल लेनदार द्वारा लागू किया जाता है। यह विषय है

किसी अन्य लेनदार द्वारा उक्त व्यक्तिगत गारंटी के आह्वान का आगे अनुपालन करना। हम पहले ही कह चुके हैं कि न्यायालय की चिंता केवल दो संस्थाओं के दृष्टिकोण से है। , निगमित ऋणदाता और निगमित ऋणदाता। किसी भी अन्य व्याख्या से धारा 29ए और इसलिए संहिता के उद्देश्य पर प्रहार करने वाली बेतुकी बात सामने आएगी। अयोग्यता को समाधान प्रक्रिया के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि दूसरों की तुलना में एक लेनदार के लिए अयोग्यता हो सकती है। बल्कि, अयोग्यता कॉर्पोरेट देनदार की समाधान प्रक्रिया में भागीदारी के लिए है। बहिष्करण का उद्देश्य एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है।

54. संशोधन के बाद का प्रावधान एक लेनदार द्वारा आह्वान की बात करता है। आह्वान का तरीका कभी भी एक कारक नहीं हो सकता है इसके अस्तित्व के विरुद्ध निर्णय लेने का अधिकार। प्रावधान के बाद के हिस्से को पर्याप्त महत्व देना होगा जो उस व्यक्ति को भी अयोग्य ठहराता है जिसका दायित्व किसी लेनदार के पक्ष में निष्पादित व्यक्तिगत गारंटी के तहत, आह्वान पर उससे देय राशि के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से भुगतान नहीं किया जाता है।

55. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि धारा 7 के तहत एक वित्तीय लेनदार के अलावा एक समाधान आवेदक, धारा 8 के तहत एक परिचालन लेनदार और धारा 10 के तहत एक कॉर्पोरेट देनदार को कभी भी समाधान प्रक्रिया में अपने स्वयं के हित की सुरक्षा के लिए जोर देने का स्वतंत्र अधिकार हो सकता है। इस प्रकार, धारा 29ए का एक प्रशंसनीय उद्देश्य ऋणदाताओं की समिति और निगमित ऋणदाता के हितों की रक्षा और संतुलन करना है, जबकि दूसरों के हितों को उजागर करने के लिए दरवाजे बंद करना है। यही कारण है कि यह जानबूझकर कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों को बाहर करता है। हम यह जोड़ सकते हैं कि धारा 29ए (एच) उन लेनदारों की भविष्यवाणी करती है जो या तो पहले से ही दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत हैं या इसके तहत जाने के हकदार हैं।

56. एक अन्य मुद्दा जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह है प्रावधान की गणना की तारीख। अर्थात् प्रस्तुत करने की तिथि समाधान योजना या प्राधिकरण द्वारा निर्णय की तारीख। होने के नाते

प्रावधान और इसके पीछे के उद्देश्य के साथ-साथ संहिता को समझते हुए, यह स्पष्ट है कि यदि किसी समाधान आवेदक द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करने के समय कोई बाधा है, तो यह स्पष्ट रूप से बनाए रखने योग्य नहीं है। हालाँकि, यदि योजना को जमा करना उस समय बनाए रखने योग्य है जब यह बैंक ऑफ बड़ौदा और ए. एन. आर. है।

दाखिल किया जाता है, और उसके बाद, कानून के संचालन से, एक व्यक्ति अयोग्य हो जाता है, जो या तो सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदन के समय तक जारी रहता है, या प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है, फिर बाद में संशोधित प्रावधान समाधान आवेदक की समाधान योजना प्रस्तुत करने की पात्रता के सवाल को नियंत्रित करेगा। समाधान आवेदक की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के अलावा कोई भूमिका नहीं है। यदि कोई अयोग्यता है जो बदले में अन्य हितधारकों को आगे बढ़ने से रोकती है और संशोधन एक बेहतर प्रक्रिया प्रदान करने की प्रकृति में है, और वह भी लेनदारों के हित में है और ऋणी को पहले के प्रावधान के विपरीत इसका पालन करना आवश्यक है। इस प्रकार, केवल समाधान योजना प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह किसी सुविधा प्रदाता के पक्ष में कोई अधिकार पैदा नहीं करता है और न ही इसे समाप्त किया जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि आज जो अच्छा है उसे केवल इसलिए लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक आवेदक पहले के समय में समाधान योजना प्रस्तुत करने के योग्य था। यह केवल एक हिस्सा है

प्रक्रियात्मक कानून। हम एबिक्स सिंगापुर प्राइवेट में लाभ के साथ निर्णय को उद्धृत करते हैं। लिमिटेड बनाम। एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन 707 का सी. ओ. सी.:

" 130. आवश्यक बहुमत के साथ भी सी. ओ. सी. को समाधान योजना को मंजूरी देते समय योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता और प्रस्तावित वितरण के तरीके पर विचार करना चाहिए, जो आई. बी. सी. की धारा 53 की उप-धारा (1) में निर्धारित लेनदारों के बीच प्राथमिकता के क्रम को ध्यान में रख सकता है। सी. ओ. सी. एक आवेदक द्वारा प्रस्तावित समाधान योजना को मंजूरी नहीं दे सकता है जिसके तहत प्रतिबंध लगाया गया है। आई. बी. सी. की धारा 29 ए। सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 37 और 38 समाधान योजना की सामग्री को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा, एक समाधान योजना, यदि आई. बी. सी. के जनादेश के अनुपालन में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार नहीं की जा सकती है और सभी हितधारकों पर इसकी मंजूरी के लिए बाध्यकारी हो जाती है-जिसमें केंद्र और राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण जिनके लिए वैधानिक बकाया है, परिचालन लेनदार जो सी. ओ. सी. का हिस्सा नहीं थे और कॉर्पोरेट देनदार का कार्यबल जो अब एक नए प्रबंधन द्वारा शासित होगा। किसी संकल्प की ऐसी विशेषताएँ

योजना, जहाँ एक क़ानून व्यापक रूप से अनुमोदन के रूप, तरीके, तरीके और प्रभाव को नियंत्रित करता है, उसे एक पारंपरिक अनुबंध से अलग करता है, विशेष रूप से उन लोगों को बांधने की क्षमता में जिन्होंने सहमति नहीं दी है

यह। विशुद्ध संविदात्मक क्षेत्र में, एक समझौता उन पक्षों को बाध्य करता है जो अनुबंध के लिए गोपनीय हैं। आई. बी. सी. द्वारा शासित समाधान योजना के संदर्भ में, गोपनीयता का तत्व तब लागू नहीं होता है जब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 31 (1) के तहत समाधान योजना की पुष्टि करता है और इसे सभी हितधारकों, [2022] 12 एस. सी. आर. पर बाध्यकारी घोषित करता है।

जो बातचीत के चरण या पक्ष का हिस्सा नहीं हैं समाधान योजना। वास्तव में, एक टिप्पणीकार ने नोट किया है कि उद्देश्य

दिवालियापन कानून वास्तव में वित्तीय संकट के साथ एक विशिष्ट 'अनुबंध विफलता' को हल करने के लिए है। इस तरह की अनुबंध विफलता

उत्पन्न होता है क्योंकि "वित्तीय संकट में बहुत सारे पक्ष शामिल होते हैं

प्रत्येक परिदृश्य के नियमों के एक समूह को परिभाषित करने के लिए फर्म और उसके लेनदारों के लिए रणनीतिक सौदेबाजी प्रोत्साहन और बहुत सारी आकस्मिकताएँ। इस प्रकार, दिवाला कानून मानता है कि पक्ष लाभ उठा सकते हैं

अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एक-दूसरे को बनाए रखने के लिए ऐसा 'अधूरा अनुबंध'। अपूर्णता और ठहराव के खतरे के मुद्दे को हल करने के प्रयास में, दिवाला कानून प्रक्रियात्मक प्रावधान प्रदान करता है।

संरक्षण अर्थात, "कानून ऐसे सुरक्षा कवच स्थापित करता है जो पक्षों को सौदेबाजी करने के लिए जगह देते हैं जबकि उन्हें ऐसी स्थिति लेने से रोकते हैं जो अत्यधिक पकड़ की ओर मुड़ती है"

ऑन मेरिट

57. संहिता की धारा 29ए (एच) पर चर्चा करने के बाद, जैसा कि हम समझते हैं, अब हम तत्काल मामले के तथ्यों में जाएंगे।

58. मान लीजिए, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने व्यक्तिगत रूप से निष्पादित किया है

गारंटी जो तीन वित्तीय लेनदारों द्वारा भी लागू की गई थी

आवेदन करने से पहले। संहिता की धारा 29ए (एच) की कठोरता

जाहिर है आकर्षित हो जाता है। पात्रता को कभी भी सीमित नहीं किया जा सकता है

उपर्युक्त तीन लेनदारों को, लेकिन संहिता की धारा 7 के आयात को देखते हुए अन्य वित्तीय लेनदारों को भी। वर्तमान मामले में, आह्वान के अनुसरण में, धारा 7 का आह्वान करने वाला एक आवेदन वास्तव में ऐसे ही एक लेनदार द्वारा दायर किया गया था। उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करने के समय भी इसका आह्वान किया गया था। इस प्रकार, धारा 29ए (एच) की हमारी व्याख्या की कसौटी में, हम मानते हैं कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत योजना पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था।

59. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलार्थी की दलीलों को इस आधार पर अस्वीकार करने में सही नहीं थे कि -

पहले की अपीलों को बिना स्वतंत्रता के वापस ले लिया गया था, मुद्दा क्या था

पात्रता को दूसरी बार नहीं बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए, अपीलार्थी पहले निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के निर्णय का पक्षकार नहीं था।

इस अवसर पर, अपील में अपीलार्थी ने केवल एक आवेदन दायर किया

प्रभाव डालना। अपीलीय प्राधिकरण ने योग्यता के आधार पर मामले का फैसला नहीं किया। वास्तव में, कानून का सवाल खुला छोड़ दिया जाता है। शासन करने वाला सिद्धांत

इस तरह के परिदृश्य में न्यायपालिका और विवाद निपटान कभी भी आकर्षित नहीं होंगे।

बैंक ऑफ बड़ौदा और ए. एन. आर. वी. एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ओआरएस। [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

इस प्रकार, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उस सीमा तक दिए गए तर्क को कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है।

60. सीमा के प्रश्न पर, हम न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हैं जैसा कि द्वारा पुष्टि की गई है अपीलीय न्यायाधिकरण। अंतरिम आदेशों के साथ मुकदमेबाजी के पहले दौर थे। 106 दिनों की देरी को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा संहिता की धारा 12 (3) को लागू करके उचित रूप से माफ कर दिया गया है और बाहर रखा गया है। यह केवल एक अवसर पर किया गया था। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह मानना सही था कि विस्तार और बहिष्करण के बीच एक स्पष्ट अंतर है। बहिष्करण तब लागू होगा जब निर्णय को किसी उच्च मंच के समक्ष चुनौती दी जाएगी। विस्तार वह है जिसका प्रयोग गठित प्राधिकारी द्वारा किया जाना है।

61. ऐसा होने के बाद, हम अपने आदेश के अंतिम भाग पर आना चाहेंगे। यद्यपि उत्तरदाता सं. द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना।

3 , अयोग्य होने के कारण रखरखाव योग्य नहीं है, पुल के नीचे बहुत पानी बह गया है। मतदान हिस्सेदारी का अपेक्षित प्रतिशत हासिल कर लिया गया है। हम.

62. दूसरा, अधिकांश ऋणदाताओं ने समाधान योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने उचित रूप से नोट किया है कि इसे विचार में लेने के बाद तदनुसार अनुमोदित किया गया था, तकनीकी योजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता से संबंधित आर्थिक रिपोर्ट। इस योजना को 18.04.2018 के बाद से भी लागू किया गया है, और अब तक उत्तरदाता संख्या 1 एक चालू चिंता है। हालाँकि, प्रत्यर्थी No.11 ने यह याचिका स्वीकार की है कि उसका प्रस्ताव सशर्त था, उसे बहुत कम हिस्सा मिला है जो इसे अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 7 के साथ जोड़कर प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। प्रत्यर्थी संख्या 7 और प्रत्यर्थी No.11 ने अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना।

63. हमें 23,000 से अधिक शेयरधारकों और उत्तरदाता संख्या 1 के हजारों कर्मचारियों के हितों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब, लगभग रु।

300 शेयरधारकों द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा जुटाए जाने वाले करोड़ रुपये को भी मंजूरी दी गई है। यह कहा जाता है कि लगभग रु। 63 इसे कार्यात्मक बनाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 में करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। निर्माण गतिविधियों की प्रकृति में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक महत्व की कई चल रही परियोजनाएं हैं जो विभिन्न चरणों में हैं।

64. हम खुद को संहिता के अंतिम उद्देश्य की याद दिलाते हैं, जो कॉर्पोरेट देनदार को वापस पटरी पर लाना है। संयोग से, हम [2022] 12 एस. सी. आर. पर भी ध्यान देते हैं।

कि असहमत लेनदारों के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके हित अन्यथा समाधान योजना द्वारा ही सुरक्षित किए जाएंगे, जो उन्हें अपने संबंधित ऋण का परिसमापन मूल्य वापस प्राप्त करने की अनुमति देता है।

सीमाएँ। इस प्रकार, वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों पर, हम समाधान योजना में बाधा नहीं डालना चाहते हैं जिससे समाधान योजना का संचालन चल रहा है।

प्रत्यर्थी संख्या 1.

65. याचिका का निपटारा कर दिया गया है। तदनुसार, सभी आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं।

अपी

ल का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे (सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)